न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 13/2015

निर्णय दिनांक :- 26.02.2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. माना पिता चौखा भील		1. मोतीलाल पिता परथा भील
2. रता पिता चौखा भील		2. नोजी बाई पिता परथा भील
3. झमकू बेवा नारिया भील		निवासीगण – ताणा
4. लालूराम पिता नेता डांगी		तहसील – भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)
5. गुलाब बाई पत्नि मकना डांगी		3. तहसीलदार भूपालसागर
6. गोरधन पिता पुरा डांगी		
7. भैरूलाल पिता उदा धोबी		
निवासीगण – ताणा		
तहसील – भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)		

राजस्व प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

* निर्णय *

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है –

1. यह है कि राजस्व ग्राम ताणा में स्थित आ०नं० 754, 755 व 756 प्रार्थी संख्या 01 ता 03 व आ०नं० 767, 770, 771 प्रार्थी सं० 04 ता 05, आ०नं० 760, 769 प्रार्थी सं० 06 व आ०नं० 732 प्रार्थी संख्या 07 ता 08 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है [illegible] जिनमें प्रार्थीगण [illegible] काश्त है।

2. यह है कि ग्राम ताणा की आ० [illegible] व 749 अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तथा आ०नं० 750, 751 व 76 अप्रार्थी संख्या 03 के नाम दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थीगण को आने जाने हेतु [illegible] के आराजी से [illegible] कदीमी रूप से पिछले 100 वर्षों से अधिक पुराना रास्ता है। प्रार्थीगण की आराजियात मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.03 16:29:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण नियमानुसार राशी रास्ते बाबत अप्रार्थीगण को भुगतान करने हेतु सहमत है। प्रार्थीगण ने अपनी आराजियात में आने-जाने हेतु नजरी नक्शा अनुसार कॉलम संख्या-2 में वर्णित आराजियात की पूर्वी पाली पर होकर 10 फीट-चौड़ा रास्ता राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करवाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज किया जाकर संबंधित पक्षकारों के अधिवक्ता को अवगत कराकर सुनवाई की गयी जिसमें उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार भूपालसागर की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थीगण को उनके खेतों तक आने-जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण पिछले 100 वर्षों से इसी कदीमी रास्ते से आते-जाते थे जो अभी बंद कर दिया गया है। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

अतः वकील उभय पक्ष बहस एवं तहसीलदार भूपालसागर की मौका रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि आप उपरोक्त वर्णित रास्ते में ली जाने वाली भूमि का नाप चौप कर नियमानुसार डीएलसी दर की दुगुनी राशी को विधिक खातेदारों के भुगतान हेतु प्रार्थीगण से जरिये डी.डी. अथवा चैक प्राप्त कर संबंधित रास्ते के प्रयोजन हेतु देने वाले खातेदारों, सहखातेदारों को बतौर क्षतिपूर्ति सुपुर्द करे। तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक कच्ची रास्ता का अमल दरामद कर तरमीम की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रतिलिपी मय नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट तहसीलदार भूपालसागर को नियमानुसार पालना हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.03 16:29:46 IST
Reason: SelfAttested

26/2/21
(सुखाराम पिण्डेल (RAS))
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner